न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 14 सन् 2018
पंजीयन दिनांक 10.01.2018

1. जगन्नाथ पिता नारायण जाति मीणा निवासी बडोदिया तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़
2. बद्रीलाल पिता वरदा जाति मीणा निवासी बडोदिया तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़
3. शोभालाल पिता वरदा जाति मीणा निवासी बडोदिया तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांटगण

विरूद्ध

मूर्ति श्री चारभुजा जी स्थान भैसरोडगढ़ तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा पुजारी सेवायत व सवराकार जगदीशप्रसाद पिता दौलादास जाति बैरागी निवासी भैसरोडगढ़ तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा
प्रकरण संख्या 14/2016 वाद निर्णय दिनांक 27.05.2016 डिक्री दिनांक 26.05.2016

उपस्थित – 1. छोगालाल जाट–अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. सत्यनारायण ईनाणी–अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं.1

निर्णय **दिनांक 06.12.2022**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने अपीलान्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात मोजा बडोदिया तहसील रावतभाटा के आराजी नम्बर 45 रकबा 5.84 हैक्टेयर अवस्थित है। जिसके साबिक आराजी नम्बर 21 रकबा 5.84 हैक्टेयर दर्ज रेकार्ड रहे है। उक्त कृषि आराजीयात को अपीलान्टगण प्रतिवादीगण को 10 वर्ष पूर्व काश्त हेतु दे रखी थी जिससे अपीलान्टगण प्रतिवादीगण प्रतिवर्ष फसल मे आधा हिस्सा रेस्पोडेन्ट वादी को देते रहे है किन्तु पिछले 2 वर्ष से फसल मे क्षति होना बताकर हिस्सा देने से टालमटुल कर रहे है। जिससे अपीलान्टगण प्रतिवादीगण वादग्रस्त कृषि आराजीयात पर कब्जा रखने का अधिकारी नही है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

रेस्पोडेन्ट वादी अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण का कब्जा हटाकर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर दिनांक 31.03.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस तामील कराये गये। अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। जवाबदावा हेतु अवसर चाहा। जवाबदावे के लिये जो तारीख मे नियत की गई उससे पूर्व उक्त पत्रावली को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट बडोदिया मे नियत की गई। अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण को बिना सूचना दिये बिना किसी लिखित राजीनामे के रेस्पोडेन्ट वादी का वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए निर्णय व डिक्री पारित की।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.05.2016 व 26.05.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की व म्याद को क्षम्य किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

इस न्यायालय मे अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण की ओर से प्रथम अपील प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट वादी जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण ने अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की। अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र मे वर्णित तथ्य विश्वसनीय व स्वीकार योग्य होने से अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण अन्दर म्याद ली जाती है।

अधिवक्ता अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट वादी ने अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण के विरुद्ध कब्जेयाबी का वादपत्र प्रस्तुत किया। उक्त वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण की ओर अधिवक्ता नियुक्त हुए। व जवाबदावे हेतु पत्रावली दिनांक 31.05.2016 नियत थी, उससे पूर्व अपीलान्ट्गण प्रतिवादीगण को बिना सूचना दिये उक्त पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट बडोदिया मे नियत की गई, व अपरिपक्व पत्रावली मे बिना किसी लिखित राजीनामे के रेस्पोडेन्ट वादी

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

का वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए निर्णय व डिक्री पारित की है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने राजस्व लोक अदालत के सम्बन्ध मे आरएलडब्ल्यु 2008 पार्ट-2 पेज 975 मे न्याय व्यवस्था प्रतिपादित की है जिसमे राजस्व लोक अदालत को विशुद्ध रूप से सुलह व पंचाट से सम्बन्धित होना माना है। यदि पक्षकारान के मध्य सुलह व पंचाट या लिखित राजीनामा नही होता है तो राजस्व लोक अदालत को उक्त पत्रावली को पुनः उस अदालत को प्रतिप्रेषित कर देनी चाहिये जिस न्यायालय से पत्रावली राजस्व लोक अदालत को प्राप्त हुई है, फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत के तहत अपरिपक्व पत्रावली का बिना सूचना व बिना लिखित राजीनामे के नियत तारीख पेशी के पूर्व गुणावगुण पर निर्णय व डिक्री पारित कर रेस्पोडेन्ट वादी का वादपत्र डिक्री किया है जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट वादी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट वादी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध अपनी खातेदारी दर्ज कृषि आराजीयात की कृषि भूमि पर अपीलान्टगण प्रतिवादीगण का कब्जा होने से कब्जेयाबी का वादपत्र प्रस्तुत किया। उक्त वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे विचाराधीन रहते हुए राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट बडोदिया मे नियत हुई जिसमे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने मन्दिर की कृषि भूमि मानते हुए अपीलान्टगण प्रतिवादीगण को अतिक्रमी होना मानते हुए अपीलान्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया जाकर वादपत्र डिक्री किया है। विवादित कृषि आराजीयात मन्दिर मूर्ति की है उक्त कृषि आराजीयात से अपीलान्टगण प्रतिवादीगण जो की अतिक्रमी रहे है। खातेदार को कब्जा दिलाया जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है। उक्त निर्णय व डिक्री विधिसम्मत होकर अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट वादी ने अपनी खातेदारी मे दर्ज कृषि आराजीयात के कब्जेयाबी का वादपत्र अपीलान्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। उक्त वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अपीलान्टगण प्रतिवादीगण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए व जवाबदावे हेतु अवसर चाहा जिस पर आगामी तारीख पेशी दिनांक 13.04.2016 नियत की गई। नियत दिनांक को अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की ओर से अधिकार पत्र प्रस्तुत हुआ व जवाबदावा हेतु अवसर चाहा जिसमे आगामी तारीख पेशी दिनांक 31.05.2016 नियत थी। नियत दिनांक से पूर्व अपीलान्टगण प्रतिवादीगण को बिना सूचना पत्र जारी किये पत्रावली दिनांक 27.05.2016 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट बडोदिया मे नियत की जाकर बिना किसी लिखित राजीनामे के अपरिपक्व पत्रावली का निर्णय करते हुए रेस्पोडेन्ट वादी का वादपत्र डिक्री किया गया है। जिससे अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की ओर से बहस के दौरान प्रस्तुत आर.एल.डब्ल्यु. 2008 पार्ट-2 पेज 975 मे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

इस प्रकरण पर चस्पा होकर अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट्गण प्रतिवादीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा प्रकरण संख्या 14/2016 रेवेन्यू वाद निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05.2016 व 27.05.2016 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह पत्रावली मे अपीलान्टगण प्रतिवादीगण का जवाबदावा लिया जाकर उभयपक्षो के अभिवचनो के अनुसार तनकियात कायम की जाकर उभय पक्षकारान की साक्ष्य लिवाई जाकर आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दिवानी की पालना करते हुए गुणावगुण पर अजसरे नव निर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 16.01.2023 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 06.12.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज0)